न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 01/2012

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 हीराराम (फोत) पुत्र कुनणाराम।
1/1 गीता देवी पत्नी हीराराम।
1/2 सम्पत राम पुत्र हीराराम।
1/3 माणकचन्द पुत्र हीराराम।
1/4 गोपाल पुत्र हीराराम।
1/5 सुरेश पुत्र हीराराम।
1/6 छीतरमल पुत्र हीराराम।
1/7 माया पुत्र हीराराम समस्त जाति खटीक निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी किरान तन पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये प्रधानाध्यापक।
2 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर भू धारक राजस्थान सरकार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 प्रधानाचार्य श्री ब्रहम्चारी नेमीचन्द गंगवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75बी भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 05.06.2012 द्वारा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिसके द्वारा उन्होंने अपीलांट के कब्जे हक व अधिकार की भूमि का विधि विरूद्व आंवटन किया है

उपस्थित

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहन लाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 26-11-18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75बी के अन्तर्गत पारित आदेश क्रमांक रीडर/राजस्व/2012/783–93 दिनांक 05.06.2012 को पारित आंवटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ ने तहसीलदार दांतारामगढ़ की अभिशंषा दिनांक 30.05.2012 के अनुसार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 6 (10) राज–6 /99/2 दिनांक 13.02.2001 के अनुसरण में ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही चार सिवाय चक में से 0.40 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी किरान तन (पचार) को खेल मैदान हेतु निशुल्क भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की है इसके विरूद्व यह अपील विरूद्व की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस सम्बंध में तहसीलदार ने 18.11.2011 को अपीलांट के हक में नियमन की अभिशंषा की है विचारण न्यायालय ने उस पर कोई निर्णय लिये बिना विचाराधीन आवंटन आदेश पारित कर दिया है। जो विधि विरूद्व है जिस विद्यालय को यह भूमि आवंटित की गई है वह राजीव गांधी पाठशाला थी जिसका आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार में विलय हो चुका है विद्यालय आज के दिन अस्तित्व में नही है अत आंवटन निरस्त योग्य है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील स्वीकार कर आंवटन निरस्त किया जायें एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को नियमन की अभिशंषा के साथ प्रति प्रेषित किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवंटन के समय भूमि खाली थी अपीलांट का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से था जो दिनांक 24.01.2012 को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया था अभिशंषा कोई आदेश नही होता है अतिक्रमी को अपील का अधिकार नही है अपीलांट को सक्षम स्तर पर वाद प्रस्तुत कर कार्यवाही करनी चाहिए थी। अपील सारहीन है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आवंटन खेल मैदान हेतु रा. प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी किरान को किया गया था दौराने अपील अपीलांट ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिससे जाहिर होता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी किरान का विलय (समन्वय) श्री ब्रहम्चारी नेमीचन्द गंगवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचार में दिनांक 25.08.2014 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी किरान को खेल मैदान के लिए भूमि आंवटन का कोई औचित्य नही रह जाता है। फलस्वरूप विचाराधीन आदेश से किया गया भूमि आवंटन बाबत खेल मैदान रा.प्रा.विद्यालय ढ़ाणी किरान अपास्त किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

जहां तक अपीलांट के कब्जे काश्त होना अतिकर्मी होना एवं नियमन का प्रश्न है इस सन्दर्भ में अपीलांट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26. XI. 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर